"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018 — वैशाख 24, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2018

अधिसूचना
सं. 22/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-22/2018/वाक/पांच(36). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किंतु 27 दिसंबर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का, अधित्यजन करती है :

परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व उन प्रयेक महीनो के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2018

क्रमांक एफ-10-22/2018/वाक/पांच(36). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-22/2018/वाक/पांच(36), दिनांक 14-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 14th May 2018

NOTIFICATION
No. 22/2018 – State Tax

No. F-10- 22/2018/CT/V (36). — In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under Section 47 of the said Act for failure to furnish the return in FORM GSTR-3B by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018, for the class of registered persons whose declaration in FORM GST TRAN-1 was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017:

Provided that such registered persons have filed the declaration in FORM GST TRAN-1 on or before the 10th day of May, 2018 and the return in FORM GSTR-3B for each of such months, on or before the 31st day of May, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.